अंक ६९ नई दिल्ली, नवम्बर-दिसम्बर २०१७ [निजी प्रसार के लिए]

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई. जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'मानव अधिकारों के प्रति सम्मान, पुलिस प्रशिक्षण का सर्वोच्च उद्देश्य होना चाहिए!'

श्री शंकर सेन

श्री शंकर सेन, ओडिशा कैडर, सेवा निवृत्त आई.पी.एस. अधिकारी, पूर्व डी.जी.(जांच) मानव अधिकार आयोग, निदेशक, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी रह चुके और जिन्हें पुलिस द्वारा मानव अधिकारों के संरक्षण की वकालत करने और पुलिस बल में आधुनिकता और आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए आवाज़ उठाने वाले, एक बहुत बड़े हिमायती के रूप में जाना जाता है, उन्हीं से *लोक पुलिस* के इस अंक के विषय 'पुलिस और मानव अधिकार' पर जीनत मलिक द्वारा लिये गये व्यक्तिगत साक्षात्कार को यहां प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री सेन को १९७९ में पुलिस में सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक और १९८६ में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक भी प्रदान कियाजा चुका है।

पुलिस का यह कहना है कि सबके मानव अधिकारों की बात की जाती है सिवाय पुलिस के। पुलिस से दूसरों के मानव अधिकारों की सुरक्षा की अपेक्षा की जाती है, लेकिन उनको अमानवीय परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, उनके मानव अधिकारों की सुरक्षा का दायित्व किस पर है?

पुलिस के काम में ख़तरा बढ़ रहा है, यह सच्चाई है। लेकिन, जब आपने पुलिस बल जॉइन किया तब स्वंय को संविधान के सपुर्द कर दिया, इसका पालन करने की आपने शपथ ली है। यह कोई तर्क नहीं है कि हमारे अधिकारों का हनन हुआ है, इसलिए हम दूसरों के मानव अधिकारों की सुरक्षा क्यों करें। आपने बल में सम्मिलित होकर संविधान और कानून का पालन करने की चुनौती ली है, आपको इस चुनौती को अवश्य ही स्वीकार करना चाहिए।

और व्यावहारिक स्तर पर यह पाया गया है कि मानव अधिकारों को कायम रखना पुलिस को उनके काम में सहायता पहुंचाता है। आप जनता की परेशानियों को दूर करने का प्रयत्न करें, उनके समीप जाएं और उनका सहयोग प्राप्त करें। बेशक, पुलिस की कठिनाईयां हैं और किसी भी सरकार को उसका निदान करने का प्रयत्न करना चाहिए। लेकिन यह किसी भी प्रकार से, पुलिस अधिकारी के रूप में हमारे कर्तव्यों को कम नहीं करता या हमारे मानव अधिकार के चैंपियन बनने की ज़िम्मेदारी को कम नहीं करता। पुलिस द्वारा मानव अधिकारों की सुरक्षा किस प्रकार की जानी चाहिए, इस पर मेरे यह स्पष्ट विचार सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में ही नहीं हैं बल्कि एक पुलिस अधिकारी के तौर पर भी हैं।

कुछ पुलिस अधिकारी आतंकवादियों के केस में यह कह कर मानव अधिकारों के उल्लंघन को न्यायसंगत बतलाते हैं कि वे लोग स्वंय इतने निर्दोष लोगों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करने के दोषी हैं। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे?

कुछ लोग यदि दूसरों के मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं वह अलग बात है, लेकिन पुलिस मानव अधिकारों का आदर न करे यह बिल्कुल ग़लत है। पुलिस द्वारा मानव अधिकारों का उल्लंघन भारत के संविधान में निहित मौलिक अधिकारों का सीधे उल्लंघन होगा। हम सेवा में भर्ती हुए थे संविधान की सुरक्षा करने के लिए न कि मौलिक अधिकारों के हनन के लिए। केवल इसलिए कि कुछ अपराधी और आतंकवादी मानव अधिकारों का सम्मान नहीं करते हैं हम कानून को अपने हाँथों में नहीं ले सकते, वैसे भी हमारा दायित्व इन्हीं से समाज की रक्षा करना है लेकिन कानून की सीमा के भीतर रहकर। अगर आप मानव अधिकारों का उल्लंघन करेंगे, जनता आपके साथ नहीं होगी। यह एक बुरा उदाहरण होगा और अंततः कानून रहित समाज की ओर ले जाएगा।

इसके अलावा पुलिस का यह भी पक्ष है कि यदि वह समाज में केवल सबके कानूनी हितों का संरक्षण करेंगे तो वे विभाग द्वारा आवश्यक आँकड़ों को पूरा नहीं कर पाएंगे। दोनों आवश्यकताओं में संतुलन बनाये रखने के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे?

बहुत हद तक यह वास्तविकता है। आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि पुलिस की संख्या कम है। यहां तक कि दिल्ली में भी ३०-४० हज़ार तक पुलिसकर्मियों की कमी है। सरकार को पुलिस भर्तीयों को पूरा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। भारत में प्रति १ लाख व्यक्ति पर पुलिसकर्मियों का अनुपात अंतर्राष्ट्रीय अनुपात २३० से बहुत कम है। कई स्थानों पर यह अनुपात १०० से भी कम है। इसलिए पहले यह संख्या बढ़ाना चाहिए।

दूसरा, जैसा कि राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने कहा है कि पुलिस को अच्छा आवास देना चाहिए क्योंकि यदि वह अपराधियों आदि के समीप रहते हैं तो उससे पुलिस की छवि आमजन में ख़राब बनती है और इसका पुलिस पर विपरीत प्रभाव पड़ता है और उनके बच्चों के शिक्षा की सुविधा अच्छी होनी चाहिए, हॉस्टल सुविधा होना चाहिए।

तीसरा, ८ घण्टों से अधिक काम करने के लिए उन्हें अतिरिक्त वेतन मिलना चाहिए।

चौथा, साथ-साथ उनका संवेदीकरण होना चाहिए, उन्हें यह बताना होगा कि नागरिकों के कुछ अधिकार हैं जिनका उन्हें हर परिस्थिति में सम्मान करना है। जब वह आते हैं तो उन्हें गाली मत दो, महिलाओं को पूछताछ के लिए थाने मत बुलाओ। हिरासत में हिंसा मत करो, इससे कोई अच्छा नाम नहीं मिलेगा बल्कि उन्हें बदनामी ही मिलेगी। अगर एक बार मारने-पीटने की आदत हो जाएगी तो वह हर प्रकार के लोगों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे।

उन्हें यह बताया जाना चाहिए कि समाज उनसे एक विशेष प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा करता है, जिसे नज़रअन्दाज़ नहीं करना चाहिए। मानव अधिकारों और मानव सम्मान का आदर करना, पुलिस प्रशिक्षण की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।

लेकिन, राष्ट्रीय पुलिस आयोग की रिपोर्ट को आये हुए ३५ वर्ष से अधिक बीत हो चुके है, उसकी सिफारिशों के अनुसार पुलिस की स्थिति में सुधार के लिए कदम नहीं उठाये गये हैं। इस परिस्थिति में भी पुलिस से नागरिकों के मानवाधिकारों को कायम रखने की अपेक्षा कम नहीं हो सकती, पुलिस को संरक्षक के रूप में काम करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे?

आयोग ने दो स्तरों पर आवश्यक रूप से काम करने की बात कही थी। जिसमें पहला था, पुलिस के संसाधन में सुधार लाना जिसमें कुछ हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। लेकिन, दूसरी चीज जो बिल्कुल नहीं हुई है वह है पुलिस को राजनीतिक नियंत्रण से मुक्त करना। इसके लिए राजनीतिज्ञ तैयार नहीं हैं। इसके लिए *प्रकाश सिंह केस* में भी राज्य सुरक्षा आयोग एंव पुलिस संस्थापना बोर्ड के गठन की बात कही गई है जिसको यदि अक्षरशः लागू कर दिया जाए तो यह बहुत बड़ी सहायता होगी पुलिस को काम में स्वतंत्रता प्रदान करने में और उन्हें राजनैतिक हस्तक्षेप और दबाव के बगैर काम करने में। लेकिन, राज्य इसका पालन नहीं कर रहे और उच्चतम न्यायालय उन्हें अदालत की अवमानना के लिए दोषी करार देते हुए कार्यवाही नहीं कर रही है। पुलिस अगर राजनैतिज्ञों की बात नहीं सुनेगी तो इसका क्या प्रभाव होगा यही सोचते-सोचते वह इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं।

इसलिए, पुलिस आज जनता की पुलिस नहीं है बल्कि वह शासक पार्टी की पुलिस बनी हुई है। जो अच्छे पुलिस अधिकारियों को कहीं भी ट्रांसफर कर देते हैं, अगर उनकी बात न सुने, उन पर झूठे आरोप लगाकर निलंबित भी कर देते हैं। ऐसे में, पुलिस अस्थिरिता के वातारण में काम ठीक से नहीं कर पाती और इसका भी प्रभाव निचले स्तर के पुलिसकर्मियों पर पड़ता है। एक डी.जी.पी. को यह मालूम है कि उसे कभी भी ट्रांसफर किया जा सकता है और उनका और उनके परिवार के जीवन को अस्थिर बनाया जा सकता है। इसको बंद करना बहुत आवश्यक है।

पुलिस आयोग और उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार संरचना स्तर पर पुलिस में सुधार नहीं लाया गया है, पुलिस पर हर प्रकार का दबाव भी है। इस स्थिति में पुलिस अपने कार्यों के निर्वाह में एंव जनता के अधिकारों के संरक्षण में संतुलन कैसे बनाए?

यह अच्छा प्वाईंट है, पुलिस क्या कर सकती है। कोई पुलिस विद्रोह तो नहीं हो सकता और ऐसा भी नहीं है

शेष पृष्ठ २ पर....

बूझो और जीतो-४७

प्रिय पाठकों,

पिछले कुछ महीनों से *लोक पुलिस* को विषय विशिष्ट बना दिया गया है। इसके अनुसार ही अंक के सभी खण्डों में पाठ्य सामग्री को शामिल किया जाता है। इस पद्धति को आगे बढ़ाते हुए, वर्तमान अंक "पुलिस एंव मानव अधिकार" विषय पर केन्द्रित है। इस बार के प्रश्न इस विषय के अनुरूप ही पूछे जा रहे हैं। आशा है, आपको प्रश्न पसंद आएंगे और आप अधिक से अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेंगी/लेंगे।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर, तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं और २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है।

इस अंक के प्रश्न निम्नलिखित हैं:-

१. क्या दो बाईक सवार भाईयों को गोली मारकर भागते हुए अपराधी के विरुद्ध पुलिस दोनों की हत्या के लिए अलग-अलग केस दर्ज कर सकती है? क्या उसे दोनों हत्याओं के लिए अलग-अलग दण्ड दिया जा सकता है?

२. क्या पुलिस चोरी के आरोपी को यह बताने के लिए बाध्य कर सकती है कि उसने चोरी का सामान कैसे चुराया?

३. क्या पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ़्तार करने के बाद बगैर उसके परिजनों को सूचित किये हुए अपनी हिरासत में रख सकती है?

४. किसी आरोपी को पुलिस, मजिस्ट्रेट के समक्ष कब पेश कर सकती है?

५. 'अरेस्ट मेमो' क्या होता है?

बुझो और जीतो - ४४ का परिणाम :-

अगस्त २०१५ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:-

१. भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६(२) के अंतर्गत हिरासत में किसी से भी बलात्कार करने के आरोपी को कम से कम १० वर्ष के कठोर कारावास का दण्ड दिया जा सकता है।

२. भारतीय दण्ड संहित की धारा ३५४ घ के अंतर्गत दूसरी बार या उसके बाद स्टॉकिंग के दोषी पाये जाने वाले व्यक्ति को ५ वर्षों के कारावास और जुर्माना चुकाने का दण्ड दिया जाएगा।

३. दोबारा बलात्कार करने के दोषी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा ३७६ ङ के अनुसार कम से कम आजीवन कारावास अर्थात् दोषी के प्राकृतिक जीवन के अंत तक का कारावास या मृत्यु दण्ड दिया जाएगा।

४. नहीं, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा १५४(१) में प्रतिबंध के अनुसार बलात्कार पीड़ित महिला की शिकायत केवल एक महिला अधिकारी द्वारा ही दर्ज की जा सकती है।

५. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा ५१(२) के अंतर्गत किसी महिला आरोपी की गिरफ़्तारी केवल एक महिला द्वारा और शिष्टता का पूरा ध्यान रखते हुए की जा सकती है। यदि कोई महिला पुलिस मौजूद नहीं है तो किसी आम महिला से पुलिस इस कार्य के लिए सहायता मांग सकती है।

विजेता :

इस बार हमें किसी भी प्रविष्टि में सभी प्रश्नों के उत्तर सही नहीं मिले हैं, इसलिए इस अंक में किसी को भी विजेता घोषित नहीं किया जा सका।

जीनत मलिक
प्रधान संपादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राईट्स इनिशिएटिव
(सी.एच.आर.आई.)
तीसरी मंज़िल, ५५ ए, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-१६
फोन: ९१ ११ ४३१२०८००, ४३१८०२२५
फैक्स: ९१ ११ २६८६४५८८
ई-मेल: zeenatmalick@gmail.com
वेबसाईट: http://www.humanrightsinitiative.org

कानून सम्मत कर्तव्य निर्वहन ही मानव अधिकारों को संरक्षण है!

मानव अधिकार के सिद्धान्त सरकार तथा उसके विभिन्न संस्थानों को जनहित में कार्य करने के मूल्य प्रदान करते हैं, जिसके आधार पर यह अपेक्षित होता है कि सरकार और उसके विभिन्न संस्थान जनता के हित में तथा प्रचलित कानून के दायरे में रहकर न्याय व सर्व हित में कार्य करेंगे। इन सिद्धांतों के पीछे यह अवधारणा है कि सरकार व उसके संस्थान जनता के कार्यों को नियोजित व संचालित करने की जिम्मेदारी रखने के कारण अपार सत्ता व शक्ति का उपयोग करने की परिस्थिति में होते हैं। कहीं यह शक्ति और सत्ता सरकार के संस्थानों और इन संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारी व अधिकारीगण के हाथों न्याय तथा कानून के विपरीत उपयोग में न आ जाय, इस हेतु मानव अधिकार के सिद्धांत शासन के प्रचलन में अतिआवश्यक माने जाते हैं। मानव अधिकारों के सिद्धांतों पर आधारित मर्यादाओं पर चलने वाला शासन तंत्र ही सुशासन (गुड गवर्नेन्स) कहलाता है। इसलिए, मानव अधिकार का सीधा संपर्क सुशासन से माना गया है।

पुलिस सरकार की एक प्रमुख संस्थान है, जिसमें कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारीगण अपार शक्ति व सत्ता का उपयोग करने की परिस्थिति में होते हैं। पुलिस सरकार की विभिन्न संस्थानों में से एक ऐसी संस्थान है जो न्याय के हित में कुछ लोगों के क्रिया कलापों को इसलिए प्रतिबंधित अथवा बाधित करने की परिस्थिति में होती है क्योंकि, कानून की मंशा के अनुसार न्याय हित में निर्धारित परिस्थितियों व कानून द्वारा प्रदत्त प्रक्रियाओं के अंतर्गत ऐसा किया जाना आवश्यक हो जाता है। ऐसी कार्य–परिस्थिति में पुलिस की कार्य प्रणाली में शक्ति व सत्ता का प्रतिकूल उपयोग भी हो सकता है इसलिए पुलिस का सीधा सम्बन्ध सुशासन तथा मानव अधिकार के सिद्धांतों से होना आवश्यक माना गया है।

पुलिस में कार्यरत कर्मचारी/अधिकारीगण बहुदा यह मानते हैं कि मानव अधिकार के सिद्धांत "पुलिस विरोधी" हैं। सत्य यह है कि पुलिस के कार्य के दौरान ऐसी अनेकों परिस्थितियाँ होती हैं जब पुलिस को उचित निर्णय लेने हेतु मानव अधिकार की मर्यादाओं के अंतर्गत कार्य करना अति आवश्यक होता है और यदि इन मर्यादाओं के बाहर जाकर पुलिस कुछ करती है तो उसे आक्षेपों का सामना करना पड़ता है। उदाहरण के लिये भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के प्रावधान को ही लें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समानता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म व उपासना की स्वतंत्रता इत्यादि ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो मानव अधिकार के सिद्धांतों के आधार पर निर्मित है। इन सिद्धांतों के आधार पर पुलिस का कार्य करना आवश्यक है और पुलिस अपना काफी समय व श्रम इस कार्य हेतु प्रदान भी करती है, और इस दिशा में काफी प्रशंसनीय कार्य करती भी आई है। उदाहरण के लिये पुलिस की कानून व्यवस्था की ड्यूटियों को ही लें। प्रजातंत्र के अन्दर प्रतिदिन धरना, जुलूस, प्रदर्शन इत्यादि होते हैं जिसमें जनता समूह में सरकार अथवा अन्य संस्थानों, व्यक्तियों के निर्णयों व कृत्यों के विरोध में प्रदर्शन करती है। इसी प्रकार मेला, धार्मिक जुलूस, सांस्कृतिक व धार्मिक आयोजनों एवं जलसों में भी पुलिस का बड़ा प्रबंध किया जाता है। इन पुलिस प्रबंधनों व ड्यूटियों के पीछे के औचित्य को यदि विश्लेषित किया जाय तो हम पायेंगे कि यदि धरना एवं जुलूस प्रदर्शन में पुलिस ड्यूटी दे रही है तो वह उन व्यक्तियों के अभिव्यक्ति के उस मौलिक अधिकार के प्रभावी रूप से उपयोग करने के वातावरण में मदद करने में अपना योगदान दे रही है, जो उन्हें शांतिपूर्वक अपने विचारों, भावनाओं व मांगों को प्रस्तुत करने के लिये प्रदान किये गये है।

यदि पुलिसकर्मी, बिना उचित व वैधानिक कारण के किसी समूह विशेष अथवा पार्टी विशेष के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को बाधित करती है तो वह कहीं न कहीं उनके अभिव्यक्ति के अधिकारों का भी हनन करने की परिस्थिति में आ सकती है। और, ऐसी स्थिति में पुलिस के ऊपर व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लग सकता है।

आरोपी के मानव अधिकारों की सुरक्षा, पुलिस का दायित्व है!

इसी तरह धार्मिक व सांस्कृतिक जुलूस व जलसों में पुलिस का प्रभावी इंतजाम इसलिये आवश्यक होता है कि उस धर्म और सांस्कृतिक समुदाय का विरोध करने वाले लोग उस जुलूस अथवा जलसे को बाधित न करें। इस प्रकार पुलिस का निष्पक्ष होकर सभी धर्मों संप्रदायों के आयोजनों में एक जैसी प्रभावी व्यवस्था रखना आवश्यक माना जाता है ताकि सभी संप्रदाय, समुदाय अपनी अभिव्यक्ति, धर्म तथा उपासना की स्वतंत्रताओं का प्रभावी रूप से उपयोग कर सके। इन परिस्थितियों में यदि पुलिस पक्षपाती हो जाय और कुछ विशेष समूहों, संप्रदायों और व्यक्तियों को बिना ठोस कारण प्रभावी व्यवस्था प्रदान न करे, और कुछ संप्रदायों समूहों के पक्ष में विशेष व्यवस्थायें प्रदान करे तो भी पुलिस पर पक्षपात और मौलिक अधिकारों के हनन का आरोप लग सकता है। यहां, कहने का तात्पर्य यह है कि पुलिस की कार्यप्रणाली में पुलिस कर्मियों को मानव अधिकार व मौलिक अधिकारों की गहरी समझ होना आवश्यक है ताकि वे अपने कार्य के मानव अधिकार रूपी महत्व को समझ सके तथा अपने आचरण व्यवहार व कार्य संपादन में मानव अधिकारों की मर्यादाओं के पालन की ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर सके ताकि उनके कार्य संपादन से मानव अधिकारों का संवर्धन ही हो एवं पुलिस पर मानव अधिकारों के उल्लंघन का आरोप न लग सके।

यह इसलिये आवश्यक है क्योंकि अपने दैनिंदनी कार्य को आम पुलिसकर्मी मानव अधिकार से जुड़े महत्व से जोड़कर सकारात्मक रूप से देखने की प्रवृत्ति विकसित नहीं कर पाता है, और जाने–अनजाने कई बार अपने कार्यों और कार्य प्रवृत्तियों के कारण मानव अधिकारों के उल्लंघन का दोषी पाया जाता है। इसलिये, आवश्यक है कि पुलिस कर्मियों में मानव अधिकार की गहरी समझ विकसित हो और वे अपने दैनिक पुलिस कार्य में मानव अधिकार के छिपे हुये महत्व को पहचान सके। पुलिस के क्षमता विकास में यदि इस बोध को विकसित करने का प्रयास किया जाय तो निश्चित ही मानव अधिकारों के संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान होगा। पुलिस को जनता के मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए अलग से परिश्रम करने की आवश्यकता नहीं है, यदि वे अक्षरशः कानून के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निवर्हन करें तो शायद पुलिस पर कभी इसके हनन का आरोप ही न लगे।

– विनीत कपूर, ए.आई.जी.
मध्य प्रदेश पुलिस

पृष्ठ २ का शेष....

कि अगर यह होगा तो जनता पुलिस का पक्ष लेगी। ऐसे में पुलिस क्या कर सकती है – वह भी अभ्यस्थ हो गई है राजनैतिक हस्तक्षेप के साथ काम करने में। ऐसी परिस्थिति में भी कितनी चीज़ें पुलिस स्वंय कर सकती है, उदाहरण के तौर पर–लोगों से अच्छा बर्ताव करें, मैत्रीपूर्ण रहें, हिरासत में हिंसा न करें, गरीब लोगों के केस से संबंधित व्यक्तियों से पैसे न मांगे। पुलिस को बाहरी सुधार के लिए और राजनैतिक नियंत्रण और दबाव को समाप्त करने के लिए मांग करनी है, लेकिन साथ ही साथ इसे अपने काम को सुधारना है ताकि वह जनता का विश्वास जीत सके। संतुलन इस प्रकार सम्भव है और मुख्य रूप से यह वरिष्ठ अधिकारियों की ज़िम्मेदारी है कि वह अपने अधिनस्थों को बतलाएं कि हमारे काम में दिक्कतें तो हैं लेकिन इसके बावजूद बहुत कुछ किया जा सकता है। संतुलन यही है कि आप आंतरिक कार्य–शैली को बेहतर करें और अपने लिए बेहतर कार्य स्थिति की मांग करें। लोगों के साथ मानवीय एंव शिष्टाचार का व्यवहार करें। ये दोनों बातें साथ–साथ चलनी चाहिए।

पुलिस बल में दुर्व्यवहार और शक्तियों का सबसे अधिक दुरूप्योग करने का आरोप थाना स्तर के अधिकारी अर्थात् कांस्टेबलों पर लगता है। आपके विचार में क्या कारण है कि इस स्तर पर कानूनों का उल्लंघन सर्वाधिक देखा जाता है?

पुलिस के बारे में आम आदमी की पहली धारणा कांस्टेबल के व्यवहार से बनती है। वे दिन में १६–१७ घण्टे काम करते हैं और इसके लिए उन्हें कोई अतिरिक्त वेतन नहीं दिया जाता। सरकार को इन ७० प्रतिशत पुलिसकर्मियों और उनके परिवार को बेहतर आवास सुनिश्चित कराना चाहिए। इससे निश्चित रूप से जनता के प्रति उनके व्यवहार में सुधार आएगा। दूसरी समस्या यह भी है कि कांस्टेबल स्तर पर भर्ती में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार होता है। हम उस कांस्टेबल से ईमानदारी की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं, जो ग़लत साधनों के उपयोग से भर्ती हुआ है।

इसके अलावा, पुलिस के कार्यों का विभाजन करना चाहिए इससे हर पुलिसकर्मी पर प्रत्येक काम का बोझ नहीं होगा और काम भी अच्छा होगा। इनके दो मुख्य कार्यों कानून–व्यवस्था और जांच की यूनिट अलग कर दें। पुलिस थाना के ऊपर सर्कल होता है और उस स्तर पर एक जांच यूनिट बनाना चाहिए। इस यूनिट के पुलिसकर्मियों का उपयोग कानून–व्यवस्था की स्थिति के लिए नहीं करना चाहिए। इस स्तर पर जांच यूनिट के गठन के लिए डी.जी.पी. की आज्ञा की आवश्यकता नहीं होती है, पुलिस अधिक्षक को इसके गठन का अधिकार प्राप्त होता है। जब मैं कालाहांडी में एस.पी. था तो मैंनें भी अलग जांच यूनिट बनाया था।

क्या कारण है कि निचले स्तर के पुलिसकर्मी मानव अधिकारों को अपने कर्तव्य निर्वहन की राह में बाधक मानते हैं? उन्हें इसके महत्व को समझाने में कहां कमी रह जाती है?

वरिष्ठ अधिकारी की कर्तव्यनिष्ठा में कमी है। अगर नेतृत्व को ही विश्वास नहीं कि मानव अधिकारों को सुरक्षित रखकर भी काम किया जा सकता है वह निचले स्तर के अधिकारियों को कैसे विश्वास दिलाएगा। यह बात नीचे तक उनके द्वारा ही जानी चाहिए। उनको लगातार ईमानदारी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा याद दिलाते रहने से बहुत प्रभाव पड़ता है। लेकिन, यह पुलिस अधिकारी के द्वारा कहा जाना चाहिए न कि किसी एन.जी.ओ. या मानव अधिकार संस्था द्वारा क्योंकि इनके बारे में पुलिस का यही मत होता है कि वह पुलिस को तंग करने के लिए ही बनाये जाते हैं।

अंत में, क्या आपके विचार में थाना स्तर पर भर्ती के समय ही आवेदकों का कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया जाना चाहिए जिससे यह ज्ञात हो सके कि वह हिंसक है या मानव अधिकारों के प्रति आदर रखने वाला?

सुनने में यह अच्छा लगता है लेकिन, यह व्यवहारिक नहीं है। सैंकड़ों लोग आवेदन करते हैं और एक मनोवैज्ञानिक परीक्षण करना कि किस आवेदक में कितनी हिंसक प्रर्वत्ती है या वह मानव अधिकारों के मानकों का कितना सम्मान करता है, यह जानना सम्भव नहीं लगता। लेकिन, सेवा के दौरान अगर किसी पुलिसकर्मी के विरूद्ध लगातार हिंसा की शिकायत आ रही है या वह हिंसक प्रर्वत्ती का है तो उसे बल से निकाल दिया जाना चाहिए। ऐसे व्यक्तियों के लिए बल में कोई स्थान नहीं है। कोई व्यक्ति अपने व्यक्तिगत विचार में कुछ भी हो सकता है और उसे ६ महीने के प्रशिक्षण से आप बदल नहीं सकते। लेकिन प्रशिक्षण में आप उसे यह अवश्य सिखा सकते हैं कि एक बार जब आपने वर्दी पहन ली और आप ड्यूटी का निर्वाह कर रहे हैं, वहां आपका आचरण पुलिस के आचार संहिता का पालन करना है, इसके अलावा और कुछ नहीं।

तथ्य एवं आंकड़े

वर्ष २०१४ में पुलिस फ़ायरिंग एंव पुलिस लाठीचार्ज में मृतकों या घायलों की संख्या

घटना पुलिस फ़ायरिंग	कितनी बार फायरिंग की गई	केस दर्ज किया गया	मृतक नागरिकों की संख्या	ज़ख़्मी नागरिकों की संख्या
दंगा	२६	२६	७	५२
आत्म – रक्षा	३३	३३	१२	१२
गिरफ़्तारी के लिए	६७	६७	४	१०
अन्य के विरूद्ध	५०	५०	१८	३०
कुल	१७६	१७६	४१	१०४
पुलिस लाठीचार्ज	कितनी बार लाठी-चार्ज किया गया	केस दर्ज किया गया	मृतक नागरिकों की संख्या	ज़ख़्मी नागरिकों की संख्या
दंगा	२६१	२६२	१	८८
आत्म – रक्षा	३	३	०	५
गिरफ़्तारी के लिए	१	१	०	६
अन्य के विरूद्ध	११७	११७	०	१६३
कुल	३८२	३८३	१	२६२

सौजन्य: राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की नवीनतम रिपोर्ट 'भारत में अपराध २०१४'।

क्या आप जानते हैं?

इस खण्ड के अंतर्गत, मानव अधिकारों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त के कार्यालय (ओ.एच.सी.एच.आर.) द्वारा २००४ में प्रकाशित *"पुलिस के लिए मानव अधिकार मानक एवं व्यवहार"* नामक पुस्तिका में से प्रासंगिक भाग को ज्यों का त्यों प्रस्तुत किया जा रहा है।

आशा है, इसके अध्ययन के बाद पुलिस को मानव अधिकार संबंधित सिद्धांतों का समावेश अपने कर्तव्य-निर्वहन में शामिल करने में आसानी होगी।

इस किताब को इस तरह संकलित किया गया है कि पुलिस से संबंधित विभिन्न मानव अधिकार से जुड़े हुए विषयों जैसे – गिरफ़्तारी, जांच, बल प्रयोग एवं अन्य। प्रत्येक विषय के अंतर्गत, एक ऐसा खण्ड है जिसमें संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार मानदण्ड दिया गया है और दूसरे खण्ड में "व्यवहार" का उल्लेख किया गया है जो उन मानदण्डों के उपयोग करने के बाद होने चाहिए।

इस बार ***लोक पुलिस*** का विषय "पुलिस एंव मानव अधिकार" है, इसलिए इस अंक में सामान्य मानव अधिकार संबंधी सिद्धांतों, प्रजातंत्र में पुलिसिंग संबंधित विषयों को सम्मिलित किया जा रहा है।

मानव अधिकार के सामान्य सिद्धांतों का प्रयोग

मानव अधिकार मानक

➢ अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून सभी देशों और उनके एजेंटों पर बाध्यकारी है जिसमें कानून प्रवर्त्तन अधिकारी भी सम्मिलित हैं।

➢ मानव अधिकार, अंतर्राष्ट्रीय कानून और अंतर्राष्ट्रीय पड़ताल के लिए एक उचित विषय है।

मानव अधिकार व्यवहार

➢ अपने संगठन के लिए एक व्यापक मानव अधिकार नीति अपनायें।

➢ पुलिस के लिए स्थायी आदेशों में मानव अधिकार मानकों को सम्मिलित करें।

➢ सभी पुलिसकर्मियों को भर्ती पर और आवधिक रूप से मानव अधिकार प्रशिक्षण प्रदान करें।

➢ राष्ट्रीय एंव अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार संगठनों के साथ सहयोग करें।

नैतिक एंव विधिक आचरण

मानव अधिकार मानक

➢ मानव अधिकार की उत्पत्ती मनुष्य के निहित आत्म-सम्मान से हुई है।

➢ कानून प्रवर्त्तन अधिकारी पूरे समय, कानून का आदर और पालन करेंगे।

➢ कानून प्रवर्त्तन अधिकारी पूरे समय, समुदाय की सेवा करके सभी व्यक्तियों को ग़ैरकानूनी हरकतों से सुरक्षित रखकर और उनके व्यवसाय के अनुरूप ऊंचे स्तर की ज़िम्मेदारियों के अनुसार उन्हें कानून द्वारा दिये गये दायित्वों को पूरा करेंगे।

➢ कानून प्रवर्त्तन अधिकारी किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। वे ऐसे सभी कार्यों का सख्ती से विरोध करेंगे और सामना करेंगे।

➢ कानून प्रवर्त्तन अधिकारी सभी व्यक्तियों के मानव सम्मान की सुरक्षा करेंगे और आदर करेंगे तथा सभी व्यक्तियों के मानवाधिकारों को बनाये रखेंगे और कायम रखेंगे।

➢ पुलिस की सभी कार्यवाही वैधानिकता, आवश्यकता, भेद-भाव रहित, अनुरूपता एंव मानवता के सिद्धांतों का आदर करेगी।

➢ कानून प्रवर्त्तन अधिकारी उन कानूनों, संहिताओं और सिद्धांतों के समुच्चयों के उल्लंघन की रिपोर्ट करेंगे जो मानव अधिकारों की सुरक्षा करते हैं और उसे बढ़ावा देते हैं।

मानव अधिकार व्यवहार

समस्त पुलिसकर्मी

- अपनी कानूनी शक्तियों और उनकी सीमाओं को समझने के लिए नौकरी के दौरान प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नामांकन करायें।
- याद रखें कि "वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों का पालन" मानव अधिकारों के गंभीर उल्लंघनों को न्यायसंगत नहीं ठहरा सकता है, जैसे कि गैर कानूनी हत्या या यातना।
- स्वंय को आंतरिक और बाहरी दोनों ही शिकायत प्रक्रिया से परिचित करायें।
- कानून और मानव अधिकार के उल्लंघन के मामलों की रिपोर्ट दर्ज करायें।

पुलिस, ड्यूटी के दौरान शिष्टता का व्यवहार करे!

कमांड एंव पर्यवेक्षी अधिकारी

- नौकरी के दौरान प्रशिक्षण प्रदान करें ताकि सभी पुलिसकर्मी अपनी कानूनी शक्तियों और नागरिकों के कानूनी अधिकारों को पूरी तरह समझें।
- उदाहरण द्वारा तथा अच्छे कमांड और प्रबंधन अभ्यासों द्वारा यह सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस अधिकारी सभी व्यक्तियों के सम्मान के लिए आदर कायम रखें।
- सुनिश्चित करें कि सभी पुलिस नीतियां और कार्यनीति और अधिनस्थों को आदेशों में मानव अधिकारों को बढ़ावा देने और संरक्षित करने की आवश्यकता का ध्यान रखा जाए।
- सुनिश्चित करें कि मानव अधिकार उल्लंघन के सभी केसों का पूर्ण रूप से और उचित प्रकार से जांच किया जाए।
- स्थायी आदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के मानकों को सम्मिलित करे।
- अपनी पुलिस सेवा के लिए नैतिक आचार संहिता विकसित करें, जिसमें इस विषय के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को समाविष्ट करें।

प्रजातंत्र में पुलिसिंग

मानव अधिकार मानक

➢ पुलिस जनता की सुरक्षा और सभी व्यक्तियों के अधिकारों को संरक्षण प्रदान करेगी।

➢ पुलिस बल, कार्यकारिणी का एक स्वतंत्र अंग होगा और अदालत के निर्देशों के अधीन होगा और उनके आदेशों से बाध्य होगा।

➢ प्रत्येक कानून प्रवर्त्तन एजेंसी पूर्ण रूपेण समुदाय का प्रतिनिधित्व होगा तथा समुदाय के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेह होगा।

➢ सभी पुलिस अधिकारी समुदाय का भाग हैं, और उनका कर्तव्य है, समुदाय की सेवा करना।

➢ पुलिस के सदस्य अपने कार्यों, शक्तियों और कर्तव्यों का निष्पक्ष आम सेवक तथा उस समय के सरकार के सेवक के रूप में पालन करेंगे।

➢ पुलिस का कोई भी सदस्य सीधे राजनैतिक गतिविधियों में शामिल नहीं हो सकता है।

➢ पुलिस के किसी भी सदस्य को यह आदेश नहीं दिया जा सकता है या ज़बरदस्ती नहीं की जा सकती है कि वह अपनी शक्तियों या कार्यों या संसाधनों को किसी राजनैतिक पार्टी या समूह के किसी सदस्य के लिए या लाभ के समूह को बढ़ावा देने या उसे क्षीण करने के लिए उपयोग करे।

➢ पुलिस का दायित्व है कि वह सभी राजनैतिक पार्टियों, व्यक्तियों और संगठनों के अधिकारों को समान रूप से बगैर किसी भय और पक्षपात के सम्भाले और उन्हें सुरक्षा प्रदान करे।

➢ अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के उपयोग में, सभी व्यक्तियों को केवल उन्हीं सीमाओं के अधीन रहना होगा जो कानून द्वारा तय की गई है।

➢ अधिकारों और स्वतंत्रा के उपयोग पर केवल वही सीमाएं होंगी जो दूसरे अधिकारों को मान्यता देने और आदर करने के लिए आवश्यक हैं, और जो एक प्रजातांत्रिक समाज में नैतिकता, सार्वजनिक व्यवस्था और आम कल्याण की आवश्यकताओं के लिए ज़रूरी है।

➢ सभी व्यक्तियों को उसके देश के सरकार में, सीधे तौर से या स्वतंत्रता पूर्वक चुने हुए प्रतिनिधियों द्वारा भाग लेने का अधिकार है।

➢ जनता की इच्छा आवधिक और सच्चे चुनावों द्वारा व्यक्त की जाएगी जो सार्वभौमिक और समान मताधिकार द्वारा होगी।

➢ सभी व्यक्तियों को मत, अभिव्यक्ति, सभा और संगति का अधिकार है।

समस्त पुलिस अधिकारी

➢ सभी समय में राजनैतिक स्वतंत्रता और निष्पक्षता कायम रखें।

➢ सभी दायित्वों का निष्पक्षता से निर्वाह करें और जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म या राजनीति जैसे किसी आधार पर भेद-भाव न करें।

➢ सभी व्यक्तियों के मानव अधिकारों की सुरक्षा करें जिसमें राजनैतिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक अधिकार भी सम्मिलित हैं।

➢ सामाजिक व्यवस्था को बनाये रखें और संरक्षण करें ताकि प्रजातांत्रिक राजनैतिक प्रक्रियाएं संवैधानिक रूप से और कानूनी रूप से संचालित हो सकें।

कमांड एंव पर्यवेक्षी अधिकारी

- सुनिश्चित करें कि पुलिस एजेंसियों की नीतियां एंव योजनाएं प्रजातांत्रिक सरकार के लिए आदर पर आधारित हैं।
- स्थानीय समुदाय की विशिष्ट ज़रूरतों का पता लगाने के लिए साधन बनायें, और उन ज़रूरतों के प्रति काम करने लिए उपाय निकालें।
- सुनिश्चित करें कि पुलिस एजेंसी का गठन, साफ़-सुथरी एंव अपक्षपातपूर्ण भर्ती और प्रबंधन नीतियां और अभ्यास के अनुसार हों जो समूचे समुदाय का प्रतिनिधित्व करे।
- सुनिश्चित करें कि भर्ती प्रक्रियाएं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों को इस प्रकार डिज़ाइन किया जाए कि उन पुलिस अधिकारियों की भर्ती करें और रखें जो प्रजातांत्रिक सरकार के अंतर्गत, प्रजातांत्रिक पुलिसिंग की मांग को पूरा करने में समर्थ हों और जो इसकी इच्छा रखते हों।

– प्रस्तुतिः ज़ीनत मलिक

आपके विचार

संपादिका जी,
नमस्कार!
लोक पुलिस मासिक पत्रिका का मैं नियमित पाठक हूँ। आपके समस्त लेख प्रशंसनीय है। विशेष तौर पर आपके द्वारा लिये जाने वाले चुनिन्दा साक्षात्कार अत्यधिक ज्ञानवर्धक होते है। आपके न्यूज लेटर के द्वारा हमें कानून एवं अपराध सबंधी जानकारियां समय समय पर प्राप्त होती रहती है एवं आशा करते है कि हम भविष्य में भी इसी प्रकार लाभान्वित होते रहेगें। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं।

रविन्द्र येवले
मध्य प्रदेश पुलिस
Email: hc11.ptc-ind@mppolice.gov.in

महोदया,
आपका प्रकाशन पुलिस में नये भर्तीयों को पढ़ाने में बहुत सहायक सिद्ध होता रहा है। यह पुलिस समाचारों और पुलिस प्रक्रियाओं से संबंधित कार्यकलापों का अनूठा मिश्रण है।

रामपाल
पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज
इंदौर

लोक पुलिस मासिक पत्रिका के समस्त लेख प्रशंसनीय हैं। विशेष तौर पर बूझो और जीतो पहेली बहुत ही रोचक एवं ज्ञान वर्धक होकर अपराध एवं कानून से संबंधित है।
इस पत्रिका को हर माह रुचि से पढ़ा जाता है।
धन्यवाद!
Email:bundela_ashish@yahoo.com

संपादिका जी,
नमस्कार!
लोक पुलिस पत्रिका का सितम्बर एंव अक्टूबर दोनों ही अंक कुछ सप्ताह पहले पढ़ने को मिले और मैं दोनों के बारे में अपना विचार व्यक्त करना चाहता हूँ। सितम्बर महीने में मुझे श्री वी.एन. राय जी का साक्षात्कार बहुत पसंद आया क्योंकि उन्होंने पुलिस से सुधार की कोई काल्पनिक आशा नहीं व्यक्त की है, बल्कि पुलिस में सुधार लाने के लिए व्यवहारिक उपाय भी बताए हैं।
इसके अलावा, अक्टूबर के अंक में "पुलिस को वीरता पदक – पात्रता निःसंदेह सुनिश्चित होना आवश्यक" सरल और प्रशंसनीय है। मैं भी इस बात का समर्थन करता हूँ कि पुलिस को वीरता पदक का पात्र तब और अधिक बनाया जाना चाहिए जब वह अपनी जान जोखिम में डालकर कोई ऐसा साहस का काम करता है जबकि किसी की मृत्यु भी न हो और अपना उद्देश्य भी पूर्ण हो जाए।
धन्यवाद!
कांस्टेबल, कोटा
राजस्थान पुलिस

पुलिस समाचार - हर कोने की हलचल

बच्चों पर आरोप-क्या मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं?

कुछ सप्ताह पूर्व उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दो वर्ष के बच्चे के विरुद्ध तीन अन्य व्यक्तियों के साथ, शिकायत दर्ज करने का मामला सामने आया था। पुलिस ने नन्हे बच्चे को गिरफ़्तार करने की कोशिश की। हैरान-परेशान पिता को रवि नामक बच्चे को ज़िला अदालत में लेकर जाना पड़ा, जहां उसने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया। वरिष्ठ अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद रवि के नाम को शिकायत से हटा दिया गया।

नन्हे हाथों में हथकड़ी, क्या उनके मानव अधिकारों का उल्लंघन नहीं?

दरअसल, २० सितम्बर को सीतापुर ज़िले के बजेहरा गांव से चोरी की शिकायत दर्ज कराई गई थी। पीड़ित एंव अन्य गांव वासियों की शिकायत के बाद चार लोगों के विरुद्ध केस दर्ज किया गया था जिसमें एक आरोपी नन्हा रवि भी था। केस के अनुसार सभी "चोरी के आरोपी" ने "रात में घर में घुसकर" और "बेईमानी से चोरी की सम्पत्ती को हासिल किया।" यह स्पष्ट नहीं हो सका कि क्यों पुलिस ने पहले रवि का नाम शिकायत में सम्मिलित किया था। इस केस में वैसे तो रवि को प्रत्यक्ष देखकर और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद केस से हटा दिया गया तथा अन्य आरोपियों को गिरफ़्तार करके जेल में डाल दिया गया, लेकिन पुलिस की इस हरकत ने स्वंय पुलिस विभाग को मज़ाक का स्रोत बना दिया। लेकिन, यह मामाला इतना सीधा नहीं है बल्कि पुलिस द्वारा अकारण किसी को भी परेशान करने का बहुत बड़ा उदाहरण है। पुलिस के कार्य-कौशल की समीक्षा होनी चाहिए ताकि पुलिस आमजनों को बगैर उचित आधार के उनके स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार से वंचित करने के पहले कई बार सोचे।

भारतीय आपराधिक कानून के अंतर्गत पुलिस ७ वर्ष से कम आयु के बच्चे के विरुद्ध कोई केस दर्ज नहीं कर सकती लेकिन पहले भी बच्चों के विरुद्ध केस दर्ज किये जाने के कई उदाहरण आ चुके हैं। पिछले वर्ष, उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा ही राज्य में आगामी उपचुनाव में एक वर्ष के बच्चे के विरुद्ध "अवपीड़न" का केस दर्ज करने के लिए दो पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया था। २००६ में बिहार पुलिस ने ६ वर्ष की एक बच्ची के विरुद्ध उन पर हमला करने तथा अपने पिता की पुलिस हिरासत से भागने में सहायता का केस दर्ज किया था। इतना ही नहीं, पड़ोसी देश पाकिस्तान में, ६ महीने के एक बच्चे को हत्या की योजना बनाने, पुलिस को धमकाने और राज्य के काम में हस्तक्षेप करने का आरोपी बनाया गया था।

उपरोक्त सभी उदाहरण पुलिस की नकारात्मक कार्यक्षमता का उदाहरण है। और, यह पुलिस द्वारा नन्हे बच्चों के मानव अधिकारों के हनन का भी उदाहरण है क्योंकि कानून उन्हें ७ वर्षों की आयु तक हर आरोप से मुक्त मानता है।

(सौजन्य : बी.बी.सी. डॉट कॉम/न्यूज/साऊथ एशिया, १ अक्टूबर, २०१५)

क्यों पुलिस में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का डाटा सार्वजनिक नहीं होगा?

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एन.सी.आर.बी.) की रिपोर्ट में पुलिस में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का आँकड़ा अलग से सम्मिलित किया गया था। ऐसा पहला डाटा १९९९ में सार्वजनिक किया गया था।

लेकिन, १६ वर्षों में पहली बार केन्द्र सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पुलिस बल में कार्यरत मुसलमानों के बारे में आँकड़ों को सार्वजनिक नहीं किया जाएगा।

एन.सी.आर.बी. के मुख्य सांख्यिकीय अधिकारी, अखिलेश कुमार के अनुसार, "पुलिस बल एंव अवसंरचनाओं से संबंधित डाटा प्रशासनिक विषय हैं और यह निर्णय लिया गया है कि एन.सी.आर.बी. इस आँकड़े का संकलन नहीं करेगी। यह आँकड़े बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा भी संकलित किये जाते हैं और अब केवल बी.पी.आर. एण्ड डी. द्वारा ही संकलित किये जाएंगे।"

एन.सी.आर.बी. मुख्य-निदेशिका, श्रीमती अर्चना रामासुन्द्रम ने दावा किया कि यह निर्णय प्रोफोरमा दोहराने का ही एक भाग था।

बी.पी.आर. एण्ड डी. जो गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है, ने कहा कि मुस्लिम पुलिसकर्मियों के बारे में सूचना एकत्रित करने की योजना नहीं है न ही वह इसे सार्वजनिक करेगी। ब्यूरो के पूर्व निदेशक श्री वसान के अनुसार, "हमें मुसलमानों के बारे में डाटा एकत्रित करने के लिए कोई निर्देश नहीं दिया गया है। बी.पी.आर. एण्ड डी. वैसे ही आँकड़े संकलित करेगा जैसे गत समय में किया करता था। धार्मिक समुदायों के बारे में कोई नई समावेश की सम्भावना नहीं है क्योंकि न तो हमारे पास ऐसा कोई निर्देश है और न ही हम ऐसा आकड़ा राज्यों से मांग रहे हैं।"

पुलिस बल में मुसलमानों के प्रतिनिधित्व में गिरावट		
२००७	में	७.५५ %
२०१२	में	६.५५ %
२०१३	में	६.२७ %

बी.पी.आर. एण्ड डी., अपने वार्षिक रिपोर्ट में, पुलिस बल में अनुसूचित जाति एंव अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों से संबंधित प्रतिनिधित्व का विवरण शामिल करता है। हालांकि, इस रिपोर्ट में कभी भी पुलिस बल में मुसलमानों की पूर्ण संख्या का डाटा नहीं प्रकाशित किया गया है।

एन.सी.आर.बी. द्वारा सभी धार्मिक अल्पसंख्यकों का अलग से डाटा उपलब्ध कराना इसलिए आवश्यक है कि पुलिस बल में सभी धर्म और समुदाय के लोगों के उचित प्रतिनिधित्व के लिए नीतिगत व्यवस्था बनाये जाने की मांग की जा सके। ऐसा न करना जनता के लिए हितकारी नहीं मालूम पड़ता है।

(सौजन्य : इंडियन एक्सप्रेस डॉट कॉम, नवंबर ३०, २०१५)

किशोर दोषी पर पुलिस तथा समाज का विश्वास क्यों आवश्यक है ?

१६ दिसम्बर, २०१२ के भयानक सामूहिक बलात्कार केस (निर्भया केस) में पाये गये किशोर दोषी की दण्ड की अवधि इसी महीने समाप्त हो रही है। आम लोगों में इस पर आक्रोश भी है और दूसरी ओर, विशेष बुद्धिजीवी वर्ग जो कानून को अच्छी तरह समझता है एंव किशोर दोषियों के सुधार की वकालत करता है इस रिहाई को अनुचित नहीं मानता है।

टाईम्स नाऊ के अनुसार, हालांकि, रिहाई के बाद भी इस किशोर की निगरानी लगातार जारी रहेगी। इस १७ वर्षीय किशोर को सुधार केन्द्र में ३ वर्ष पूरे होने पर एक एन.जी.ओ. के साथ रखा जाएगा और एक वर्ष तक उसकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाएगी।

पीड़िता के माता पिता ने गृह मंत्री श्री राजनाथ और एन.एच.आर.सी. के समक्ष प्रतिनिधित्व करके यह मांग की थी कि रिहाई के पूर्व इस किशोर का चेहरा सार्वजनिक किया जाना चाहिए क्योंकि यह आम लोगों के जीवन और स्वतंत्रता के लिए ख़तरा है।

एन.एच.आर.सी. ने राज्य और केन्द्र सरकार को नोटिस जारी करके पूछा है कि क्या इस केस में, *किशोर न्याय (देख-रेख एंव संरक्षण) नियमावलि, २००७ के नियम १७(३)* के अंतर्गत रिहाई पूर्व एंव रिहाई के बाद की कोई योजना तैयार की गई है या नहीं ? गृह मंत्रालय के सचिव को इस बात से अवगत कराने के लिए भी कहा गया है कि शिकायतकर्ताओं द्वारा प्रतिनिधित्व के बाद क्या उस पर कोई कार्यवाही की गई है। यह भी सूचना मांगी गई है कि क्या किशोर के मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करने के लिए हाल में उसका कोई मनोवैज्ञानिक परीक्षण किया गया है ?

पिछले महीने, केन्द्रय मंत्री ने भी यह कहा था कि इस किशोर पर कड़ी नज़र रखी जाएगी। - उन्होंने यह भी कहा था कि समाज में इस किशोर को रिहा करना उपयुक्त नहीं है लेकिन निश्चित रूप से इस केस के दोषसिद्धि और दण्ड में कानून का पालन किया गया है। उनके अनुसार, "मुझे नहीं मालूम है कि न्याय हुआ है या नहीं लेकिन निश्चित रूप से कानून का पालन किया गया है।" उन्होंने यौन अपराध के दोषियों का, रिहाई के बाद पब्लिक डोमेन में एक रिकॉर्ड रखे जाने की भी मांग करते हुए सरकार को पत्र लिखा था।

१६ दिसम्बर सामूहिक बलात्कार पीड़ित के माता-पिता ने भी विधिक व्यवस्था पर झुंझलाहट व्यक्त करते हुए कहा कि 'व्यस्क होने में कुछ महीने थे, इसी कारण उसे सुधार केन्द्र में भेजा गया था। क्या वह सुधरा? हज़ारों लड़कियों का रोज़ बलात्कार हो रहा है तो क्या बदलाव आया है।'

'निर्भया केस' में किशोर द्वारा सबसे अधिक बर्बतापूर्ण कृत्यों के कारण जनमत उसके विरोध में है। हालांकि, कानून किशोर के अपरिपक्व मस्तिष्क और चित के कारण उसे क्रूरतम अपराधों में भी सुधरने का अवसर प्रदान करता है। दण्ड के ३ वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर इस अपेक्षित सुधार का आकलन आवश्यक रूप से किया जाना चाहिए अन्यथा १७ वर्ष में दोषी पाये जाना वाला किशोर २१ वर्ष में कहीं आपराधिक प्रवृत्ति में और परिपक्व न हो गया हो, यह आशंका आमजन और पुलिस दोनों के ही मन-मस्तिष्क में बनी रहेगी। इसलिए, उचित मानसिक स्वास्थ्य का आकलन करके दिल्ली पुलिस की वेबसाईट पर उसकी स्थिति अप्लोड की जानी चाहिए, ताकि आम जनता, उसे समाज में पुनःस्थापना में कठिनाई न उत्पन्न करे और पुलिस के लिए भी कोई कानून-व्यवस्था की स्थिति न उत्पन्न हो।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ३ दिसंबर २०१५ तथा फर्स्ट पोस्ट डॉट कॉम, ३ दिसंबर २०१५)

सी.एच.आर.आई., नई दिल्ली कार्यालय
प्रधान संपादक : ज़ीनत मलिक, ५५ ए, तीसरी मंज़िल, सिद्धार्थ चैम्बर्स, कालू सराय, नई दिल्ली-११००१६, भारत
टेली : ९१ ११ ४३१८ ०२००० फैक्स : ९१ ११ २६८६४६८८, वेबसाईट: http//www.humanrightsinitiative.org